रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254365 CG-DL-E-27052024-254365

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2024/ज्येष्ठ 1, 1946

No. 265] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2024

(आर.बी./स्था.सं. 45/2024)

सा.का.नि. 286(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुचछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में, नियम 9 के उपनियम (2) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि आपवादिक परिस्थितियों जैसे महामारी या प्राकृतिक आपदा या जब अनुशासनिक प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों के आधार पर संतुष्ट हो, तो जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जोंच कर रहे हो या जब जोंच के लिए कोई जोंच प्राधिकारी नामित किया गया हो, रेल सेवक के अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के

3165 GI/2024 (1)

बारे में जाँच वीडियो कांफ्रेंसिंग के डिजिटल मोड की सहायता के माध्यम से या तो पूर्णत: या भागत:, रेल मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार की जा सकेगी।"

[फा. सं. ई(डी एंड ए) 2020 आरजी6-6]

सुनील कुमार, कार्यकारी निदेशक/स्थापना

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 3181, तारीख 14 सितंबर, 1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. सं. 178, तारीख 19 सितंबर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2024

(R.B./Estt. No. 45/2024)

- **G.S.R. 286** (E).—In exercise of the powers conferred by the *proviso* to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Servants (Discipline and Appeal)Rules, 1968, namely:-
- 1. **Short Title and Commencement-** (1) These rules may be called the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, after the *proviso* of sub-rule (2) of rule 9, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in exceptional circumstances such as a pandemic or natural calamities or when the disciplinary authority is satisfied for the reasons to be recorded by it in writing, the disciplinary authority may itself inquire into or may authorise an Inquiring Authority to inquire into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Railway Servant through the aid of the digital mode of Video Conferencing, either wholly or in parts, in accordance with the regulations framed by the Central Government in the Ministry of Railways."

[F. No. E(D&A) 2020 RG6-6]

SUNIL KUMAR, Executive Director/Establishment

Note:- Principal rules were published in the Gazette of India in Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3181, dated the 14th September, 1968 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 178 dated 19th September, 2015.